भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264144 SG-DL-E-25062025-264144

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] No. 185] DELI

दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947 DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 103 [N. C. T. D. No. 103

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 24 जून, 2025

F. 14(77)/LA/2022/jtsecylaw/509-517.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 17 जून, 2025 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 2025

(2025 का दिल्ली अधिनियम 03)

(04th January, 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

{24 जून, 2025}

(दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 में आगे संशोधन के लिए) एक अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवेँ वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित किया जायेगा :-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ— (1) यह अधिनियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा ।
- (2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।
- (3) यह तत्काल प्रभाव में लागू होगा ।
- 2. धारा ४ का संशोधन- दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82), में धारा ४ के खंड (ख) में,
- (i) ''नौ सदस्यों '' शब्दों के स्थान पर ''दस सदस्यों ''शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) धारा 4 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) में.-
- (क) ''चार सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सदस्यों'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ख) ''तथा'' शब्द को हटाया जाएगाः
- (ग) "श्री तख्त हजूर साहिब, नांदेड, शब्दों के पश्चात् ''तथा (5) श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबू, भटिंडा, पंजाब'' शब्दों, कोष्ठकों तथा अंक को सन्निविष्ट किया जाएगा ।

मनमीत सिंह वालिआ, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS **NOTIFICATION**

Delhi, the 24th June, 2025

F. 14(77)/LA/2022/jtsecylaw/509-517.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 17th June, 2025 and is hereby published for general information:-

THE DELHI SIKH GURUDWARAS (AMENDMENT) ACT, 2025

(ACT No. 03 of 2025)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th January, 2022).

[24th June, 2025]

An Act further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Act. 2025.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (2) It shall come into force with immediate effect.
- 2. Amendment of Section 4 In the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971), in clause (b) of Section 4.
- (1) for the words "nine members", the words "ten members" shall be substituted;
- (ii) In sub-clause (ii) of clause (b) of Section 4,
- (a) for the words "four members", the words "five members"shall be substituted;
- (b) the word "and" shall be omitted:
- (c) after the words "Sri Takhat Hazur Sahib, Nanded", the words brackets and figure "and (5) Sri Takhat Damdama Sahib, Talwandi Sabo, Bhatinda, Punjab" shall be inserted.

MANMEET SINGH WALIA, Jt. Secy.